न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर) शिवगंज जिला सिरोही

पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र R.A.S

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
राजेन्द्र पुत्र गोपालराम जाति रावल निवासी अरठवाडा तह0 शिवगंज	बनाम	राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री श्रवणकुमार परिहार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

रा. प्रार्थना पत्र संख्या 28/2024

दिनांक 04.12.2024

–:आदेश:–

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा अरठवाडा पटवार हल्का अरठवाडा भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र उथमण तहसील शिवगंज में प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी आई हुई है। जिसके खसरा नं0 643 रकबा 0.4694 हैक्टयर है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम त्रुटिवश राजूराम इंद्राज हो गया है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम राजेन्द्र है। राजस्व रेकर्ड में गलत नाम इंद्राज हो जाने के कारण प्रार्थी को परेशानियों से गुजरना पडता है। प्रार्थी के विधुत विभाग से लिये गये विधुत संबंध के विधुत उपयोग विपत्र, आधार कार्ड एवं आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड एवं बैंक पासबुक में भी प्र र्थी का नाम राजेन्द्र इंद्राज है। अतः प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व रेकर्ड में नाम दुरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय मे पेश कर नाम शुद्धी करने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार शिवगंज ने दिनांक 16.08.2024 को जवाब पेश किया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 04.12.2024 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर फहरिश्त के साथ रा0उ0मा0 विधालय अरठवाडा की टी0सी0, ग्राम पंचायत अरठवाडा का प्रमाण पत्र पेश किया जिसमें प्रार्थी का नाम राजेन्द्र ही है तथा उपपंजीयक शिवगंज में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दस्तावेज दिनांक 28.03.1992 जिसमें प्रार्थी के हस्ताक्षर भी राजेन्द्र कुमार नाम से ही किये हुए है। उक्त प्रकरण के संबंध में उभय पक्ष की दिनांक 04.12.2024 को बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में अपने कथनों को पुनः दोहरा कर बताया कि मौजा अरठवाडा पटवार हल्का अरठवाडा भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र उथमण तहसील शिवगंज में प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी आई हुई है। जिसके खसरा नं0 643 रकबा 0.4694 हैक्टयर है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम त्रुटिवश राजूराम इंद्राज हो गया है जबकि प्रार्थी के अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी सभी दस्तावेजों जैसे टी.सी., ड्राईविंग लाईसेंस, पेनकार्ड, आधार कार्ड इत्यादि में सही नाम राजेन्द्र गोपालराम रावल है।

हमनें पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों, तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनने से दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अतः **मौजा अरठवाडा** पटवार हल्का अरठवाडा भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र उथमण तहसील शिवगंज के **खसरा नंम्बर 643 कुल रकबा 0.4694 हैक्टयर** में दर्ज नाम राजूराम पुत्र गोपालराम के स्थान पर **"राजेन्द्र पुत्र गोपालराम"** नाम दुरस्त किये जाने का **आदेश** दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज तदअनुसार पालना करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

(नीरज मिश्र, R.A.S)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.09 17:26:48 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांकः–कोर्ट/2024/620 दिनांक 04–12–2024

प्रतिलिपि पालनार्थः–

तहसीलदार शिवगंज ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)